R राज्य A अधिवक्ता S संघ

(आपराधिक एवं सामाजिक न्याय हेतु)

RAS JUSTICE

USTICE IS TRUTH IN ACTION

मांग-पत्र

राज्य अधिवक्ताओं का मांग–पत्र

राजस्थान के प्रेक्टिसिंग अधिवक्ताओं की ओर से कुछ महत्वपूर्ण मांगे, जो कि बहुत समय से लंबित है, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे है, इन मांगो के पूर्ण होने पर ही वकालत के कार्य को ओर अधिक प्रभावी एवं समर्पित रूप से करने में सहूलियत होगी।

कानूनी सुरक्षा और सम्मान –

* **अधिवक्ता प्रोटक्शन बिल** – अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु अधिवक्ता प्रोटक्शन बिल को तुरन्त प्रभाव से लागू किया जावे जिससे अधिवक्ता बिना किसी भय के अपना कार्य कर सकें।
* **टोल टैक्स से छूट** – न्यायिक कार्य की महत्ता को देखते हुये अधिक्ताओं को टोल टेक्स से छूट देना सरकार का कर्तव्य है क्योकिं अधिवक्ता रोजाना अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिये विभिन्न कोर्टो व कानूनी स्थानों पर जातें हैं व अधिवक्ताओ पर टोल टेक्स का अनावश्यक आर्थिक बोझ पडता है। इससे छुटकारा दिलाया जावें ।
* **नगर निगम पार्किंग किराया वसूली से छूट** – अधिवक्ताओं को विविध कानूनी कार्यो हेतु विभिन्न स्थानो पर जाना होता है तथा कई बार तो एक स्थान पर भी दिन में दो या तीन बार जाना पडता है इस परिस्थिति में नगर निगम के पार्किंग स्थानो पर किराया देना पडता है । अधिवक्ताओं को नगर निगम पार्किंग किराये से पूर्ण छूट प्रदान की जावे।
* **ऑफिसर ऑफ द कोर्ट** – सभी अधिवक्ताओं को विधिवत रूप से एडवोकेट एक्ट के अनुसार ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की उपाधि से अलंकृत किया है अतः इस हेतु सरकार गृह विभाग व अन्य सभी राज्य सरकार के विभागो को आवश्यक आदेश पारित करें। तथा अधिवक्ता को इसी रूप में व्यवहार करें।
* **कार्य स्थल पर सुरक्षा** – अधिवक्ताओं के लिये कोर्ट परिसर में सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण सुनिश्चित करें।

आर्थिक सहायता और बीमा –

* **स्वास्थय बीमा** – राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं और उनके परिवारों के लिए व्यापक स्वास्थय बीमा योजना की शुरूआत की जाये।
* **जीवन बीमा** – राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के लिए रियायती दरों पर जीवन बीमा योजनाऐं लागू कराने में सरकार मदद करें।
* **वित्तीय सहायता** – राज्य सरकार द्वारा युवा और नए अधिवक्ताओं के लिए शुरूवाती समय में आर्थिक सहायता या रियायती लोन सुविधाएं प्रदान करने हेतु वित्तीय संस्थाओं को बाध्य करें।

पेंशन व सेवानिवृति सुविधाऐं :-

* **पेंशन योजना** – राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए एक व्यापक पेंशन योजना चालु की जाये।
* **सेवानिवृति लाभ** – राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं को सेवानिवृति के बाद वित्तीय सुरक्षा देने वाली योजनाएँ उपलब्ध कराई जाये।

अन्य लाभ व सुविधाऐं :-

* **यात्रा भत्ता** – राज्य सरकार द्वारा न्यायियक कार्य के लिए यात्रा करने वाले अधिवक्ताओं को सरकार यात्रा भत्ता प्रदान किया जाये। अथवा सरकारी बस सेवा में यात्रा में शुल्क छूट दी जावे।
* **अधिवक्ता कल्याण कोष** – राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर आपातकालीन स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए एक कल्याण कोष की स्थापना की जाए।
* **आवास सुविधा** – राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के लिए रियायती दरों पर खाली जमीन अथवा आवास सुविधा उपलब्ध करायी जाएं।

प्रोफेशनल डवलमेंट और ट्रेनिंग –

* **निरंतर कानूनी शिक्षा** – राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यशालाओ और सेमिनारों का आयोजन सरकारी

सहायता से किया जावे जिसमें राज्य के विख्यात प्रोफेसरों की व्यवस्था तथा उनका मानदेय सरकार उठावें।

* **डिजीटल और ऑनलाइन संसाधन** – राज्य सरकार द्वारा कानूनी संसाधन और डिजिटल संसाधनो की मुफ्त या रियायती दरों पर उपलब्धता सुनिश्चित किया जाये। तथा वर्तमान में उपलब्ध पुस्तकालयों को दुरस्त करवाया जावे। राज्य में उपलब्ध सरकारी पुस्तकालयों में अधिवक्ताओं के रजिस्ट्रेशन कार्ड के आधार पर प्रवेश की मान्यता मिलें तथा आवश्यक पुस्तकों की जरूरत होने पर पुस्तकालयों से उपलब्धता सुनिश्चित की जावें।

इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएँ –

* **अधिवक्ता हॉल और पुस्तकालय** – राज्य के हर जिले मे आधुनिक सुविधाओं से युक्त अधिवक्ता हॉल और कानूनी पुस्तकालय स्थापित किये जाये ।
* **डिजिटल कोर्स** – ई–फाइलिंग और वर्चुअल कोर्ट हियरिंग्स जैसी सुविधाओं को बढावा दिया जाए। अधिवक्ताओं को इसका प्रशिक्षण भी दिया जाये
* **इंटरनेट सुविधा** – कोर्ट परिसरों में उच्च गति की इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। तथा पुस्तकालयों आदि में उच्च क्षमता वाले वाई–फाई राउटर लगवायें जावें ।

''राज्य अधिवक्ता संघ'' राज्य सरकार से व सम्बन्धित सभी बार एसोसिएशन एवं राजस्थान बार काउसिंल से यह मांग करता है कि इन मांग–पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये और शीघ्र ही इन मांगो को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठायें जाऐं। इससे न केवल अधिवक्ताओं का मनोबल बढेगा। बल्कि न्याय प्रणाली में भी सुधार आएगा। धन्यवाद । साभार

124/496, Agarwal Farm, Mansarovar,
JAIPUR (RAJ.) INDIA - 302020

+91 98292 03437
: rasadvtrust@gmail.com